

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/(परिवीक्षा द्वितीय)/2017/

दिनांक :

आदेश

निम्नलिखित कनिष्ठ लिपिको को उनके परिवीक्षा अवधि सन्तोषप्रद पूर्ण करने के फलस्वरूप राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 41 के तहत वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 14 (1)एफ.डी/(रूल्स)2013-॥दिनांक 28.06.13 की अनुपालना में दो वर्ष की परिवीक्षाकाल पूर्ण तिथि से 9840 (5200-20200 रनिंग पै व ग्रेड पै 2400) से उनके नामो के सम्मुख अंकितानुसार वेतन नियतन किया जाकर एतद् द्वारा स्थाई किया जाता है।

क. स.	नाम कर्मचारी व पद	पदस्थापन स्थान	प्रथम नियुक्ति तिथि	2 वर्ष पश्चात परिवीक्षा पूर्ण करने पर वेतन नियतन तिथि	टंकण परीक्षा उत्तीर्ण तिथि	कम्प्यूटर योग्यता आर.एस.सी.आई.टी./प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण तिथि
1.	श्री सौरभ मेहरा, लिपिक ग्रेड द्वितीय	संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन कोटा	29.07.2015	29.07.2017	27.09.2016	15.01.2015 (RSCIT)
2.	श्री मनोज कुमार लिपिक ग्रेड द्वितीय	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़	06.04.2015	06.04.2017	25.01.2016	08.04.2013 (RSCIT)

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

दिनांक : 31/10/18

क्रमांक :- ई-18/एम/(परिवीक्षा द्वितीय)/2017/2358

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन कोटा।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़।
3. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर